पत्रांक : 5प/राज्य स्कीम–02–02/2025/94 (अ०) पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

किशोर कुमार,
संयुक्त सचिव

सेवा में,

उप सचिव–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 20/03/2025

विषय : वित्तीय वर्ष 2024–25 में पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के बकाया विद्युत विपत्र के भुगतान हेतु कुल ₹2,89,48,52,527.00 (दो अरब नवासी करोड़ अड़तालीस लाख बावन हजार पाँच सौ सत्ताईस रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, बिहार, पटना के पत्रांक 785 दिनांक 18.03.2025 के आलोक में पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के बकाया विद्युत विपत्र साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार, पटना का ₹93.17 करोड़ एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार, पटना का ₹196.33 करोड़ अर्थात् कुल ₹289.50 करोड़ रूपये मात्र की राशि का बकाया विद्युत विपत्र उपलब्ध कराते हुए भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. अतएव उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024–25 में पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के बकाया विद्युत विपत्र का केन्द्रीयकृत रूप से भुगतान हेतु नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार, पटना को कुल ₹1,96,33,47,496.00 (एक अरब छियानवे करोड़ तैंतीस लाख सैंतालीस हजार चार सौ छियानवे रूपये) मात्र (अनुलग्नक–'क' के रूप में संलग्न) तथा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार, पटना को कुल ₹93,15,05,031.00 (तिरानवे करोड़ पन्द्रह लाख पाँच हजार इकत्तीस रूपये) मात्र (अनुलग्नक–'ख' के रूप में संलग्न) अर्थात् कुल ₹2,89,48,52,527.00 (दो अरब नवासी करोड़ अड़तालीस लाख बावन हजार पाँच सौ सत्ताईस रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2024–25 में मांग संख्या–16 के राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0102–जिला पंचायत की

स्थापना" के "विषय शीर्ष–0102.13.04–विद्युत प्रभार" इकाई से किया जायेगा। इसका विपत्र कोड 16–2515000010102 है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्यय पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करते हुए North Bihar Power Distribution Company Limited एवं South Bihar Power Distribution Company Limited को निम्नांकित बैंक खाते में भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे :–

A. North Bihar Power Distribution Company Limited

Name of Accounts Holder	North Bihar Power Distribution Company Limited
Payee Name	North Bihar Power Distribution Company Limited
Bank	Canara bank
Account Number	110078090764
IFSC Code	CNRB0008531
Branch	Vidyut Bhawan Baily Road, Patna
Payee ID	KT0010225

B. South Bihar Power Distribution Company Limited

Name of Accounts Holder	South Bihar Power Distribution Company Limited
Payee Name	South Bihar Power Distribution Company Limited
Bank	Panjab National Bank
Account Number	0380000110142305
IFSC Code	PUNB0038000
Branch	Exhibition Road, Patna
Payee ID	PT0008833

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 214 दिनांक 06.03.2024 एवं 206 दिनांक 18.03.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्‌मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की सहमति संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–02/2025 के पृष्ठ संख्या ...05.../टि० पर दिनांक...20.../03/2025 को प्राप्त है।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–02/2025 के पृष्ठ संख्या ...05.../टि० पर दिनांक ...20.../03/2025 को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

20/3

(किशोर कुमार)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–02/2025/...94 पं०रा०पटना, दिनांक 20/03/2025

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/अध्यक्ष–सह प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, विद्युत भवन, नेहरू पथ, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–03 एवं 06, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/25

(किशोर कुमार)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–02/2025/...94 पं०रा० पटना, दिनांक 20/03/2025

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20/3/25

(किशोर कुमार)

संयुक्त सचिव

D:\MS EXCEL\MS Excel\Allotment\Allotment 2024-25\State Scheme\16-2515000010102\Letter.docx52